पुत्र रामकिशन मीना,खसरा नम्बर 2062 के खातेदार रामनिवास,सुरेश पिसरान रामरूप ,फत्तेराम पिरान लालजी कौम मीना का नाम हफज करते हुये भूमि को माफी मंदिर घनश्याम जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे गैरसायल सख्या 1 ता 7 जरिये बकालान्तन उपस्थित आया। नम्बर 8 उपस्थित नही है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 7 की ओर से अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि विवादित आराजी प्रार्थीयान की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। मौके पर कोई मंदिर पुजारी आदि का अस्तित्व नही है। राजस्व अधिकारीयो ने यह प्रार्थना पत्र गलत तरिके से पेश किया गया है। तहसीलदार टोडाभीम ने इस विवादित आराजी के सम्बन्ध मे वास्तविक रिकार्ड को छिपालिया गया है। अप्रार्थीयान सम्बत 2006 से पूर्व ही भूमि कब्जे काश्त करते आ रहे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ निम्न रिकार्ड पेश किया है।

1 जमाबन्दी समबत 2013–2016 खाता सख्या 480
2 जमाबन्दी समबत 2017–2020 खाता सख्या 487
3 जमाबन्दी समबत 2022–2225 खाता सख्या 439,440,441
4 जमाबन्दी समबत 2038–2041 खाता सख्या 197,235,229
5 आधार जमाबन्दी समबत 2052 खाता सख्या 208,245,58
6 जमाबन्दी समबत 2055–2058 खाता सख्या 247,58
7 जमाबन्दी समबत 2005 खाता सख्या 235
8 जमाबन्दी समबत 2063–2066 खाता सख्या 235
9 जमाबन्दी समबत 2071–2074 खाता सख्या 61,71,273
10 नामान्तकरण सख्या 40 / 08.06.200,53 / 20.9.2001,196 / 7.8.2007
11 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–2062

पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन मे विवादित आराजी साबिक रिकार्ड मे माफी मंदिर की थी किन्तु हाल रिकार्ड मे खातेदारो के नाम गलत इन्द्राज हो गये है उन्हे समाप्त करते हुये पुनः भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज फरमावे।

वकील अप्रार्थीयान की बहस सुनी दोराने बहस अपने कथन मे जबाव प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये निवेदन किया की विवादित आराजी पूर्वजो के समय से खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है माफी मंदिर एवं इससे सम्बन्धित पुजारियो का अस्तित्व नही है। तहसीलदार टोडाभीम ने यह प्रार्थना पत्र रिकार्ड छिपाकर पेश किया गया है। जिसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी एवं पैरोकरा सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1477,1478,1479 वाके ग्राम रानौली जमाबन्दी सम्बत 2013 से 16 के खाता सख्या 480 मे माफी मंदिर श्री घनश्याम जी वाके देह हिण्डौन अहतमाम पुजारी चिरंजीलाल पुत्र मूलचंद के नाम खातेदारी मे दर्ज थी जो निरन्तर सम्बन्त 2017 से 20 तक दर्ज रही है किन्तु जमाबन्दी सम्बत 2022 से 25 को तहरीर करते हुये इस आराजी को विभिन्न खाता सख्या 439,440,441 मे बिना किसी आदेश के यह भूमि वाके मंदिर को हजफ करते हुये खातेदारो के नाम दर्ज कर दी जो आज भी हाल खसरा नम्बर 2060,2062,2063 मे भी खातेदारान उपरोक्त अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह इन्द्राज गलत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 10/017 तारीख रजू 27.9.2017

भूमिधारी जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :-प्रार्थी

बनाम

1 गिर्राज पुत्र रामकिशन मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
2 रामनिवास पुत्र रामरूप मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
3 सुरेश पुत्र रामधन मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
4 फत्तेराम पुत्र लालजी मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
5 गंगासहाय पुत्र रामसहाय मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
6 शिवराम पुत्र परसादी मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
7 श्योराम पुत्र परसादी मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम
8 प्रन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा हिण्डौन सिटी – अप्रार्थीयान

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत माफी मंदिर भूमि का रेफरेन्स भिजवाने बाबत।

निर्णय दिनांक 24.6.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 1477 रकवा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1478 रकवा 11 विस्व खसरा नम्बर 1479 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा ग्राम रानौली तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 2060,2062,2063, कुल किता 3 कुल रकवा 0.57 है0 बना हैं जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 1477 रकवा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1478 रकवा 11 विस्व खसरा नम्बर 1479 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा जमाबंदी सम्बत 2013 से 2016 के खाता सख्या 480 मे भूमि का खातेदारी माफी मंदिर श्री धनश्याम जी वाके देह हिण्डौन अहतमाम पुजारी चिरंजी लाल पुत्र मूलचंद जाति ब्रहामण निवासी हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो सम्बत 2017 से 2020 की जमाबंदी मे यथावत दर्ज रही किन्तु जमाबन्दी सम्बत 2022 से 25 के तहरीर करते समय खाता सख्या 439,440,441 मे भूमि को बिना किसी नामान्तकरण से माफी मंदिर का नाम हजफ करते हुये साबिक खसरा नम्बर 1477 को रामसहाय, परसादी पिसरान गोपी मीना तथा खसरा नम्बर 1478 रामरूप फत्तेराम पिसरान लालजी मीना व खसरा नम्बर 1479 को रामकिशन पुत्र भवानी मीना की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। इसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 986 दिनांक 23.1.1985 से खातेदार रामसहाय फौत होने पर उसके वारिस गंगासहाय पुत्र रामसहाय के नाम दर्ज हो गई। तथा नामान्तकरण सख्या 40 दिनांक 8.6.2000 से रामरूप खातेदार फौत होने पर उसके वारिस रामनिवास,सुरेश पिसरान रामरूप तथा खसरा नम्बर 2063 के खातेदार परसादी फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 20.9. 2001 द्वारा विरासत सिवराम,श्यौराम पिसरान परसादी के नाम दर्ज हुयी है। तथा नामान्तकरण सख्या 196 दिनांक 7.8.2007 से डिकी के जरिये गिर्राज पुत्र रामकिशन के नाम भूमि दर्ज हो गई है। अन्त मे रेफरेन्स स्वीकार करते हुये निवेदन किया गया है हाल खसरा नम्बर 2063 के खातेदार गंगासहाय पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/2 बिना रहन शिवराम,श्यौराम पिसरान परसादी हिस्सा 1/2 राहिन एस.बी.आई शाखा हिण्डौन सिटी मूर्तहीन कौम मीना,खसरा नम्बर 2060 के खातेदार गिर्राज

तरिके से हाल रिकार्ड मे किया गया है जो कानून के विरूद्ध है। जिसे वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करना उचित समझते है। हम तहसीलदार के प्रार्थना पत्र से सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार सपोटरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है हाल खसरा नम्बर 2063 के खातेदार गंगासहाय पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/2 बिना रहन शिवराम,श्यौराम पिसरान परसादी हिस्सा 1/2 राहिन एस.बी.आई शाखा हिण्डौन सिटी मूर्तहीन कौम मीना,खसरा नम्बर 2060 के खातेदार गिर्राज पुत्र रामकिशन मीना,खसरा नम्बर 2062 के खातेदार रामनिवास,सुरेश पिसरान रामरूप ,फत्तोराम पिरान लालजी कौम मीना का नाम हफज करते हुये भूमि को माफी मंदिर घनश्याम जी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.6.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली